## नियम 6 : धारा 12(11) के अधीन, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति

उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (11) के अधीन, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति, लीज्ड सर्किट के संबंध में सेवाओं की पूर्ति की दशा में जहां लीज्ड सर्किट एक या एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में संस्थापित किए जाते है और ऐसी सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम भारित की जाती है वहां ऐसी सेवाओं की पूर्ति प्रत्येक क्रमिक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में होने के रुप में होगी और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं को पृथक रुप से संगृहीत करने या उनके मूल्य का अवधारण करने के लिए सेवाओं के पूर्तिकार और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :

**(क)** सर्किट में बिन्दुओं की संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी :

**(i)** सर्किट के दो स्थानों या बिन्दुओं के बीच होने की दशा में सर्किट का आरंभिक स्थान या बिन्दु और सर्किट का अंतिम स्थान या बिन्दु सदैव दो बिन्दु गठित करेंगे;

**(ii)** बिन्दु या सर्किट में कोई मध्यवर्ती बिन्दु या स्थान भी बिन्दु गठित करेंगे बशर्तें लीज्ड सर्किट का फायदा उस मध्यवर्ती बिन्दु पर भी उपलब्ध है;

**(ख)** सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पड़ने वाले बिन्दुओं की संख्या के अनुपात में किया गया समझा जाएगा।

**दृष्टांत 1 :** कंपनी 'टी' कंपनी 'सी' के दिल्ली और मुम्बई कार्यालय के बीच लीज्ड सर्किट संस्थापित करती है। इस सर्किट का आरंभिक बिन्दु दिल्ली में है और सर्किट का अंतिम छोर बिन्दु मुम्बई है। इसलिए इस सर्किट का एक बिन्दु दिल्ली में है और दूसरा बिन्दु महाराष्ट्र में है। इस सेवा के प्रदाय का स्थान दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और महाराष्ट्र राज्य में है इस सेवा के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे क्रमशः दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और महाराष्ट्र राज्य में 1:1 के अनुपात में उपलब्ध कराया गया है।

**दृष्टांत 2 :** कंपनी 'टी' कंपनी 'सी' के चेन्नई, बेंगलुरु और मैसुरु कार्यालयों के बीच लीज्ड सर्किट संस्थापित करती है। इस सर्किट का आरम्भिक बिन्दु चैन्नई में है और सर्किट का अंतिम छोर बिंदु मैसुरु में है। सर्किट बेंगलुरु को भी जोड़ता है। अतः, सर्किट का एक अंतिम छोर बिन्दु तमिलनाडु में है और दो बिन्दु कर्नाटक में है। इस सेवा के प्रदाय का स्थान तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में है। इस सेवा के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे क्रमशः तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में 1:2 के अनुपात में उपलब्ध कराया गया है।

**दृष्टांत 3 :** कंपनी 'टी' कंपनी 'सी' के कोलकाता, पटना और गुवाहटी कार्यालयों के बीच लीज्ड सर्किट संस्थापित करती है। कोलकाता, पटना और गुवाहटी के इस सर्किट में 3 बिन्दु हैं। अतः, इस सर्किट का हर एक बिन्दु पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में है। इस सेवा के प्रदाय का स्थान पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम राज्यों में है। सेवा के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे क्रमशः पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में 1:1:1 के अनुपात में उपलब्ध कराया गया है।